कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023–24/ दिनांक :

समस्त वनाधिकारीगण

....

विषय :– आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृति दिवस को ही समस्त पेशंन परिलाभों की स्वीकृति उपलबध करवाने के कम में।

सन्दर्भः– वित्त कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक ..06.2023 एवं निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पत्रांक प 5 (328)/निपेवि/नियम/ई–मॉडयूल/2023/3266–एच्र दिनांक 06.09.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लेखा है कि समस्त कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित समस्त डाटा सेवा पुस्तिका के आधार पर सिस्टम पर अद्यतन कर दिया गया हैं। इस कम में सभी कार्यालयाध्यक्षों से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में कार्यालयाध्यक्ष सिस्टम पर ई–पेंशन सैट से संबंधित समस्त सूचनाओं की पूर्ति कर ई–पेंशन सैट कार्मिक की सेवानिवृति माह की 15 तारीख तक आवश्यक रूप से पेंशन विभाग को अग्रेषित करेंगे।
2. संदर्भित परिपत्र के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथा समय सिस्टम पर पेंशन सैट से संबंधित सूचना अद्य तन नही की जाती है तो डीम्ड अप्रूवल मानते हुए ई–पेंशन सैट ऑटो प्रोसेस द्वारा विभाग को पेंशन और ग्रेच्यूटी (जहा लागू हो) के लिए अग्रेषित होगा। ऐसे प्रकरणों में अधिक/गलत भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की होगी।
3. आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ऐसे पेंशन प्रकरण जो कि ऑटो प्रोसेस के माध्यम से निस्तारित किये जा चुके हैं, में अब कम्यूटेशन प्रोसेस की सुविधा विकसित की जा चुकी हैं तथा संबंधित कर्मचारी द्वारा कम्यूटेशन प्रोसेस किया जाना हैं। अतः आपके कार्यालय से ऑटो प्रोसेस से निस्तारित हुए प्रकरणों में यदि विभागीय जांच (DE)/न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो तो आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर DE/NO DE/ न्यायिक कार्यवाही अविलम्ब मार्क कर पेंशन रूपांतरण आवेदन पेंशन कार्यालय को अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। DE मार्क किये जाने की प्रकिया संदर्भित पत्र. में वर्णित हैं।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार

भवदीया

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023–24/6143-63 दिनांक : 27.10.23

प्रतिलिपिः– निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ।
3. समस्त अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
5. मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) मुख्यालय राजस्थान जयपुर को भिजवा... अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को पालना हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
6. नोडल अधिकारी (आई.एफ.एम.एस. 3.0) प्रधान मुख्य वन संरक्षक... कार्यवाही हेतु।

Signature valid
Digitally signed by Nidhi Mehta
Designation: Financial Advisor
Date: 2023.10.27 1?:48:40 IST
Reason: Approved

I.A. 3 OCF(IT) 3/11/2023

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ई–मेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष – 0141.2740538, 2740678

वेबसाईट – rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :– प.5(328)निपेवि/नियम/ई-मोड्यूल/2023 दिनांक :–

3266-H
06-09-2023

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राज. जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राज. जयपुर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।

विषय :– Integrated Financial Management System (IFMS 3.0) के अन्तर्गत जून, 2023 से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को रिटायरमेन्ट के दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भ :– वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ–75) डीटीए /IFMS 3.0/1112-1311 दिनांक 01.06.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कर्मचारी से संबंधित समस्त डाटा सेवा पुस्तिका के आधार पर सिस्टम पर अद्यतन कर दिया गया है। इस क्रम में सभी विभागाध्यक्षों से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कार्यालयाध्यक्ष सिस्टम पर ई–पेंशन सेट से संबंधित समस्त सूचनाओं की पूर्ति कर ई–पेंशन सेट कार्मिक की सेवानिवृत्ति माह की 15 तारीख तक पेंशन विभाग को अग्रेषित करेंगे। अतः उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कार्यालयाध्यक्ष को चिन्हित कर यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में उनके द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जावें तथा सेवानिवृत्ति माह की 15 तारीख तक ई–पेंशन सेट पेंशन विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
2. संदर्भित परिपत्र के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथा समय सिस्टम पर पेंशन सेट से संबंधित सूचना अद्यतन नहीं की जाती है तो डीम्ड अप्रूवल मानते हुए ई–पेंशन सेट ऑटो प्रोसेस द्वारा पेंशन विभाग को पेंशन और ग्रेच्युटी (जहां लागू हो) के लिए अग्रेषित होगा। ऐसे प्रकरणों में अधिक/गलत भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की होगी। अतः अधिक/गलत भुगतान के प्रकरणों हेतु उत्तरदायी

This PC/Local Disk(C)/Director Sir/Master file

120

कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।

3. IFMS 3.0 पर ऐसे पेंशन प्रकरण जो कि Auto Process के माध्यम से निस्तारित किये जा चुके है, में अब कम्यूटेशन Process की सुविधा विकसित की जा रही है तथा संबंधित कर्मचारी द्वारा कम्यूटेंशन प्रोसेस किया जाना है। अतः आपके विभाग से Auto Process से निस्तारित हुये प्रकरणों में यदि विभागीय जांच (DE)/ न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो तो IFMS 3.0 सिस्टम पर DE/NO DE / न्यायिक कार्यवाही अविलम्ब मार्क हेतु संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित करेंगे। DE मार्क करने का Flow Chart निम्नानुसार है :-

SSO से login करके IFMS 3.0 में जाकर Access workspace ⟶ Click on "HO" ⟶ Pension Management ⟶ Click on "Mark Employee DE"

उपरोक्त बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की सूचना दिनांक 15.09.2023 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को ई-मेल dir-pen-rj@nic.in पर प्रेषित करावें।

भवदीय

06/09/23

(डॉ देवराज)
निदेशक

ओम जी

This PC/Local Disk(C)/Director Sir/Master file

G042-142